आंचलिक महायोजना

बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य

खण्ड 1

विषय सूची

परिभाषाएं ---------- i

सकेंताक्षर ---------- iii

1 हरित भूमि नियोजन-दृष्टिकोण एवं उद्देश्य ---------- 4

1.1 दृष्टिकोण ---------- 4

1.2 प्रबंधन के उद्देश्य ---------- 4

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य ---------- 6

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य ---------- 6

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाईयॉं ---------- 6

2 कार्य योजना ---------- 7

2.1 पर्यावरण अनुकूल सुझावात्मक भू उपयोग योजना ---------- 7

2.2 गतिविधि वर्गीकरण और दबाव प्रबंधन ---------- 7

3 विषय योजना ---------- 9

3.1 संरक्षण-विकास संबंधी विषयों का समाधान ---------- 9

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को कायम रखना ---------- 10

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन ---------- 10

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH) ---------- 10

3.5 नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन ---------- 11

3.6 अपशिष्ट जल उपचार ---------- 11

3.7 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन ---------- 11

3.8 जैव चिकित्सकीय अपशिष्ठ प्रबंधन ---------- 12

3.9 वर्षा जल प्रबंधन ---------- 12

3.10 वाहनों का यातायात नियंत्रण ---------- 12

3.11 संसाधन निष्कर्षण तथा खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन ---------- 13

3.12 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण ---------- 13

3.13 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना ---------- 13

3.14 पर्यटन और विरासत संरक्षण ---------- 14

3.15 कृषि और पशुधन प्रबंधन ---------- 14

3.16 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ---------- 14

3.17 प्रदूषण कम करना ---------- 15

3.18 मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human Wildlife Conflict-HWC) प्रबंधन ---------- 15

4 आजीविका के विषय ---------- 17

4.1 हितधारकों से परामर्श---- 17
4.2 पारिस्थितिक-विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ---- 17
4.3 माईक्रो प्लान तैयारी ---- 18
4.4 माइक्रो-प्लान का कार्यान्वयन ---- 18
5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना---- 19
5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन देना ---- 19
5.2 संरक्षण शिक्षा---- 19
5.3 पर्यटन प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश ---- 20
6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण ---- 21
6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना ---- 21
6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास---- 21
6.3 कौशल विकास और कार्य स्थल पर (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण---- 21
6.4 एक शिक्षण केंद्र की स्थापना---- 22
6.5 क्षमता निर्माण और सामंजस्य---- 22
7 बजट---- 23
7.1 योजनागत बजट---- 23
7.2 वित्त पोषण के स्रोत ---- 23
7.3 आहरण (ड्राइंग) और संवितरण तंत्र ---- 23
8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम ---- 24
8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करना---- 25
8.2 संवेदनशील क्षेत्र---- 26
8.3 पारिस्थितिक संवदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम ---- 27
8.4 विनियामक प्राधिकारण ---- 28
8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह ---- 30
9 निष्कर्ष---- 31

परिभाषाएं

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन : पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZs) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र हैं। ESZs घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र : ESA संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) की पहचान और अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 1989 से की गई है।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ : मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को "वे लाभ जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं" के रूप में परिभाषित किया है।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र : पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) ऐसे भू-दृश्य तत्व या स्थान हैं जो स्थल पर और क्षेत्रीय संदर्भ में जैविक विविधता, मिट्टी, पानी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें वन्यजीव आवास क्षेत्र, तीव्र ढलान, आर्द्रभूमि और प्रमुख कृषि भूमि शामिल हैं।

संरक्षित क्षेत्र: एक संरक्षित क्षेत्र एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थान है, जिसे वैधानिक या अन्य प्रभावी माध्यमों से मान्यता प्राप्त है, सुनिश्चित किया हुआ है और प्रबंधित किया जाता है, ताकि संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति का दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त किया जा सके। (IUCN परिभाषा 2008)

कोर ज़ोन : कोर ज़ोन अबाधित पारिस्थितिकी तंत्र और एक विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता से बनता है। यह सबसे अधिक सुरक्षा वाला क्षेत्र है, यह केवल उन गतिविधियों की अनुमति देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और दीर्घकालिक रूप से जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ।

बफर ज़ोन: बफर ज़ोन एक विशिष्ट संरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं, जो अक्सर इसके बाहरी हिस्से में होते हैं। बफर ज़ोन के भीतर, संसाधनों का उपयोग वैधानिक या प्रथागत रूप से प्रतिबंधित हो सकता है, सामान्यतया आसन्न संरक्षित क्षेत्र की तुलना में कम डिग्री तक ताकि एक संक्रमण क्षेत्र बन सके।

राष्ट्रीय उद्यान : वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर या बाहर स्थित एक क्षेत्र ,जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस क्षेत्र के भीतर और आस-पास, वन्यजीवों की सुरक्षा और विचरण अथवा विकास के प्रयोजनों से , आवश्यक होने पर , इसकी पारिस्थितिक, वानिस्पतिक , जीवीय , भू आकृतिक , प्राणीकि संघटकों और महत्वों के कारण, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है।

वन्यजीव अभयारण्य: वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वन्य जीवों को सुरक्षा और रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वन्यजीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है, जिसका स्वामित्व सरकार या निजी एजेंसी के पास होता है जो पक्षियों और वन्यजीवों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है।

ज़ोनल मास्टर प्लान: ज़ोनल विकास/महायोजना एक ज़ोन के लिए एक विस्तृत प्लान है जिसे एक महायोजना के फ्रेमवर्क के तहत बनाया और तैयार किया जाता है, जिसमें अलग-अलग भूमि के उपयोग, सड़कों और गलियों, पार्क और खुली जगहों, सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि के लिए प्रस्ताव होते हैं।

वहनीय क्षमता : WTO (विश्व व्यापार संगठन) के अनुसार, वहनीय क्षमता को इस तरह परिभाषित किया गया हैः "लोगों की अधिकतम संख्या जो एक ही समय में किसी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, बिना भौतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और आगंतुकों की संतुष्टि की गुणवत्ता में अस्वीकार्य कमी किए बिना।"

कीस्टोन प्रजाति: कीस्टोन प्रजाति एक पौधा या जानवर है जो एक इकोसिस्टम के काम करने के तरीके में एक अनोखी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीस्टोन प्रजातियों के बिना, इकोसिस्टम बहुत अलग होगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

सकेंताक्षर

CBD	Convention on Biological diversity	जैविक विविधता पर अभिसमय
COP	Conference of parties	सभी पक्षों का सम्मेलन
ESA	Eco-Sensitive Area	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र
ESZ	Eco-Sensitive Zone	पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन
MOEFCC	Ministry of Environment, Forest & Climate Change	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MPTB	Madhya Pradesh Tourism Board	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
NP	National Park	राष्ट्रीय उद्यान
PA	Protected Area	संरक्षित क्षेत्र
SEPL	Socio- ecological Production Landscape	सामाजिक-पारिस्थितिक उत्पादन परिदृश्य
ULB	Urban Local Body	शहरी स्थानीय निकाय
WLS	Wildlife Sanctuary	वन्यजीव अभयारण्य
ZMP	Zonal Master Plan	आंचलिक महायोजना

1 हरित भूमि नियोजन-दृष्टिकोण एवं उद्देश्य

1.1 दृष्टिकोण

बगदारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (इको सेंसेटिव ज़ोन-ईएसजेड) योजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर आजीविका के साथ ही प्राकृतिक और मानव पर्यावासों को सुरक्षित रखना और उनका संवर्धन करना है । इस योजना में , समन्वित शासकीय कार्य प्रणाली द्वारा प्रकृति-आधारित पर्यटन , सतत कृषि और जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहन देने पर विचार किया गया है । इसके परिणामस्वरूप, शासकीय एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से इस क्षेत्र का प्रबंधन सरल होगा । यह योजना, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं पर समग्र रूप से ध्यान देकर , प्राकृतिक संसाधनों के लम्बी अवधि तक संरक्षण और सतत प्रबंधन में कार्य करती है । यह पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों को एक ऐसे बफर के रूप में मान्यता देती है जो मुख्य संरक्षित क्षेत्रों पर मानव द्वारा उत्पन्न किये गए दबावों को कम करता है। जिसके फलस्वरूप जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से लम्बे समय तक लाभ प्राप्त होगा ।

इस दृष्टिकोण का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत मुख्य संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव को कम करना है । जिसे, समुदायों को सम्मिलित करते हुए , पर्यावरण-विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, चिर स्थायी संसाधनों के उपयोग से तथा स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित कर प्राप्त किया जायेगा । इसमें , आजीविका के विकल्पों को बढ़ाना , कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा ऐसे (पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन (इको टूरिज्म) मॉडल को प्रोत्साहन देना शामिल है जो स्थानीय लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं और संरक्षण उद्देश्यों में योगदान देते हैं ।

1.2 प्रबंधन के उद्देश्य

1.2.1 संसाधनों का सतत (sustainable) प्रबंधन

सतत (चिर स्थायी) प्रबंधन के लिए , संसाधनों के उपयोग और प्राकृतिक पुनरुत्पादन के बीच संतुलन आवश्यक है । पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन की मुख्य विशेषता, वन और भूजल संसाधनों पर व्यापक निर्भरता है, जिनका यदि

विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं । जैसे वनों में बार – बार आगजनी की घटना होना और भूजल स्तर का गिरना। आंचलिक महायोजना (ZMP) का उद्देश्य पारिस्थितिक एकता से समझौता किए बिना , पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और समुदाय की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का सतत उपयोग और पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना है।

1.2.2 पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं का रखरखाव

पारिस्थितिकी तंत्र , इको सेन्सेटिव झोने (ई एस जेड) के भीतर और परिवेश में मृदा पुनर्निमाण, पोषक तत्व चक्रण, जल शोधन, परागण, कार्बन अवशोषण और सूक्ष्म जलवायु विनियमन सहित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की ये सेवाएं आसपास के समुदायों और वन्यजीवों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह स्वीकार करते हुए कि इन सेवाओं के महत्त्व को कम आँका गया है , आंचलिक महायोजना (ZMP) का उद्देश्य , परिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के उपायों को अपनाकर तथा पर्यावास संरक्षण के द्वारा इनका मात्रात्मक मूल्यांकन और सुरक्षा करना है। ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

1.2.3 सतत आजीविका संवर्धन

पारिस्थितिक दबाव और संरक्षण संबंधी प्रतिबंधों के प्रति स्थानीय आजीविका की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, योजना में विविध और सतत आजीविका रणनीतियों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी, मगनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गहन श्रम मृदा और नमी संरक्षण कार्य, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों (एलपीजी, उन्नत चूल्हे, बायोगैस) को प्रोत्साहन देना और स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त सहायता को सशक्त करना शामिल है। पर्यावरण-पर्यटन और होम-स्टे , संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप अतिरिक्त आर्थिक विकास के वाहक के रूप में कार्य करते हैं।

1.2.4 प्रकृति आधारित पर्यटन

संरक्षित क्षेत्र (पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन) के भीतर पर्यटन विकास का उद्देश्य आगंतुकों की संख्या और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करना है । इसका उद्देश्य संवेदनशील प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों पर पड़ने वाले प्रभावों को सीमित करते हुए रोजगार के अवसरों और आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है। प्रकृति-आधारित पर्यटन की परिकल्पना एक आय अर्जित करने वाले एक तंत्र के रूप में की गई है जो सामुदायिक कल्याण और संरक्षण निधि को बल प्रदान करता है। बशर्ते इसे वहन क्षमता और बफर दिशानिर्देशों के अनुसार निर्देशित करते हुये दक्ष रूप से तैयार और संचालित किया जाए।

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य

अल्पावधि में, इस योजना का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करना, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल निकायों को स्थिर और पुनर्जीवित करना, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उपाय करना है। हस्तशिल्प, जैविक खेती और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन सेवाओं जैसे वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वन संसाधनों पर निर्भरता कम हो और अवैध गतिविधियों में कमी आए।

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य

दीर्घकालिक उद्देश्यों में निरंतर, अविभाजित वन्यजीव आवासों की स्थापना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को समाहित करना, वायु, जल और ध्वनि पर कड़े प्रदूषण नियंत्रण लागू करना और सतत पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करना करना शामिल है। इको सेंन्सेटिव ज़ोन के हरित लैण्डस्केप को पूरी तरह से व्यावहारिक बनाने के लिये संस्थागत रुपरेखा को सर्वमान्य शासन, निगरानी तथा सामुदायिक सहभागिता आसान बनाने के लिये सुद्रढ़ बनाया जायेगा।

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाईयॉ

हाल के वर्षों में, संरक्षित क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और आम लोगों के बीच यह बढ़ती चिंता देखी गई है कि कई संरक्षित क्षेत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं, और कुछ मामलों में, वे उन मूल्यों को खो रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था। परिणामस्वरूप, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना समूचे संरक्षण समुदाय की एक प्राथमिकता बन गया है। कुछ प्रमुख विचारणीय बिंदु इस प्रकार हैं:

- जागरूकता की कमी और कार्यान्वयन में प्रशासनिक बाधाएं
- प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पहलों का अभाव
- विशेष क्षेत्र (पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन) के भीतर परिचालन संबंधी आशंकाएं
- साझा जनादेश/अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता
- वर्तमान संस्थागत रूपरेखा और सीमित संसाधन

2 कार्य योजना

2.1 पर्यावरण अनुकूल सुझावात्मक भू उपयोग योजना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनल मास्टर प्लान ,क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करते हैं। ज़ोनिंग पद्धति, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और मानवीय गतिविधियों के गहरे प्रभाव को समाहित करती है। इसमें वन्यजीव कोरिडोर , सतही जल निकाय, भूमि उपयोग, भूजल स्थिति और ढलान आदि एक से अधिक प्रमुख पर्यावरणीय मापदंडों को शामिल करते हुए विश्लेषित करने की रुपरेखा को अपनाया गया है। इसके साथ ही मानवजनित दबाव सूचकांकों को , जिसमे - जनसंख्या घनत्व , निर्माण फुटप्रिंट, यातायात , कृषि सघनता और वनों पर निर्भरता आदि सम्मिलित हैं , प्रबंधन की कार्रवाई के उद्देश्य से समग्र स्थानिक ज़ोनिंग के लिए , इस योजना में समाहित किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ठ 2, अध्याय 2, अनुभाग 2.1 से 2.4 देखें)।

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन निम्नानुसार विभाजित किया गया है -

- **सतत विकास क्षेत्र**, जिसमें मौजूदा बस्तियाँ और विनियमित सतत विकास सहित राजस्व भूमि शामिल हैं, (खण्ड 2, परिशिष्ठ 2, अध्याय 2, अनुभाग 2.1.3, मानचित्र 21 देखें)।
- **प्रकृति संरक्षण क्षेत्र**, जिन्हें वन्यजीव कोरिडोर, हेबिटेट, आर्द्रभूमियों और बफर क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है; (खण्ड 2, परिशिष्ठ 2, अध्याय 2, अनुभाग 2.1.3, मानचित्र 21 देखें)।
- **पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन ज़ोन** , निम्नीकृत भूमि को ध्यान में रखते हुए मृदा और वनस्पतियों का पुनर्स्थापन
- (खण्ड 2, परिशिष्ठ 2, अध्याय 2, अनुभाग 2.1.3, मानचित्र 21 देखें)।

यह लैण्डस्कैप दृष्टिकोण, जहाँ आवश्यक है उन क्षेत्रों में , सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ क्रिटिकल हेबिटेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

2.2 गतिविधि वर्गीकरण और दबाव प्रबंधन

यह योजना, पर्यावरणीय संरक्षण क्षेत्र (पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन- ईएसजेड) में मानवीय गतिविधियों को तीन श्रेणीयों में विस्तृत रूप से वर्गीकृत करती है -

- **प्रतिषिद्ध गतिविधियों** में – वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, जलविद्युत परियोजनाएं, अनुपचारित अपशिष्ट डिस्चार्ज, ईंट भट्टे, व्यावसायिक लकड़ी की कटाई और बड़े पैमाने पर पशुधन फार्म शामिल हैं।

अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए इन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। (खंड 2, परिशिष्ट 2, अध्याय 2, खंड 2.5 देखें)।

- **विनियमित गतिविधियों** में - निर्माण, छोटे पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाएं, पशुपालन और अवसंरचना कार्य शामिल हैं। इनकी स्वीकृति स्थान, बफर जोन के अनुपालन (विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र की सीमा के निकट 1 किमी के गैर-वाणिज्यिक निर्माण क्षेत्र) और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की पूर्ति पर निर्भर करती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2, अध्याय 2, अनुभाग 2.6 देखें)।
- **संवर्धित गतिविधियों में**- वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, कौशल विकास, कृषि वानिकी और पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसी बढ़ावा देने योग्य गतिविधियों को संवहनीयता और व्यावहारिक आजीविका के लिए प्रोत्साहित किया गया है। (खंड 2, परिशिष्ट 2, अध्याय 2, खंड 2.6 देखें)।

स्थान विशेष क्षेत्रों से जुड़ा यह वर्गीकरण, स्थल-विशिष्ट योजना, बेहतर क्रियान्वयन और सतत अनुपालन को सरल बनाता है।

स्थान विशेष से सम्बन्धित ज़ोनिंग का गैर स्थान विशेष नियामक नियंत्रणों के साथ समावेश ,आंचलिक महायोजना का एक प्रमुख निष्कर्ष है। इससे चिन्हित क्षेत्रों पर , ई एस जेड (ESZ) अधिसूचना में दिए गए गतिविधि वर्गीकरणों को ओवरले करके अनुमतियाँ देने या अस्वीकार करने के संबंध में सटीक निर्णय लेने में सुविधा होती है।

यह निर्णायक रुपरेखा , अनुमोदनों को व्यवस्थित करती है, विकास और संरक्षण की जरूरतों के बीच टकराव को कम करती है और क्रियावयन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

3 विषय योजना

3.1 संरक्षण-विकास संबंधी विषयों का समाधान

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZ) में सतत भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य , पारिस्थितिक एकरूपता की आवश्यकताओ को आजीविका और विकास की आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करना है। यह योजना अधिसूचित ई एस जेड (ESZ) के अंतर्गत निर्धारित ज़ोनिंग सीमाओं तथा विनयामक निर्देश एवं दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियों के कड़ाई से विनियमन का समर्थन करती है।

संरक्षण बफ़र्स को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए:- बड़ी नदियों और 4 एकड़ से बड़ी झीलों से 50 मीटर, छोटे जल निकायों से 15 मीटर, और वर्षा जल नलिकाओं से 2 मीटर तक। इन बफ़र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है; वे पूरी तरह से संरक्षण कार्यों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आरक्षित हैं। सड़कों या उद्योगों जैसे विकास कार्यों में , हेबीटेट्स पर एज इफ़ेक्ट (edge effect) के प्रभावों को सीमित करने के लिए पर्याप्त बफ़र स्ट्रिप्स शामिल होनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और भागीदारी की रक्षा की जाए , यह योजना , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों से (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत, सामंजस्य पर भी ज़ोर देती है, ।

अतिक्रमण रोकने हेतु निगरानी, सीमाओं का सख्ती से पालन , और पशु कोरिडोर में या आस-पास के क्षेत्रों में विकास कार्यों पर सख्त प्रतिबंध अनिवार्य हैं। अनुमत निर्माण गतिविधियों में सावधानीपूर्वक स्थल चयन, हेबिटेट्स को कम से कम व्यवधान, निर्माण कचरे का प्रबंधन, वन्यजीवों के संवेदनशील समय के दौरान ज्यादा शोर वाली गतिविधियों से बचना, और पर्यावरण के अनुकूल वास्तुशिल्प मानदंडों का पालन करना शामिल है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.1 देखें)

हरित अवरसंरचनात्मक कार्य , जैसे कि खुली जगह का संरक्षण, शहरी वृक्षारोपण, सामुदायिक पार्क और बगीचों की स्थापना तथा आस-पास के लेआउट में पार्क और हरित मार्गों का समावेश , बाढ़ की घटनाओं की रोकथाम करने , शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों के पर्यावरणीय और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किये गए हैं। यह योजना स्थानीय निर्माण सामग्रियों का उपयोग से कॉम्पैक्ट, कम ऊंचाई वाले विकास को प्रोत्साहन देकर स्थानीय स्तर पर "ग्रीन बिल्डिंग" मानदंडों को समावेशित करती है । ई एस जेड में प्रमुख रहवासी क्षेत्रों के विस्तार को सीमित करने तथा पैदल चलने योग्य और सामुदायिक पहचान का समर्थन करने वाले आधारभूत ढाँचे पर विशेष जोर दिया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.1.1 देखें)

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को कायम रखना

निम्नीकृत भूमि को पहले की तरह करने, मिट्टी की नमी में सुधार करने और मिट्टी कटाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए लैंडस्केप-स्तरीय कार्यों की आवश्यकता है। यह योजना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, हरी खाद के उपयोग, सतत वानस्पतिक आवरण तथा मिट्टी की संरचना और नमी प्रतिधारण शक्ति को बढ़ाने के लिए विनियमित चराई सहित संरक्षण कृषि को अपनाने का सुझाव देती है। देशी, शुष्क-सह और नाइट्रोजन-फिक्सिंग प्रजातियों का उपयोग करने वाली प्लांटेशन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, खासकर ढलानों, नदी किनारों और ज़्यादा बहाव वाले क्षेत्रों में। खोखरा और थानी पाठक जैसे क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट वनीकरण, मिट्टी संरक्षण संरचनाओं और सतत कटाई कार्य जैसे घटकों को, जिनमे सामान्यतया मगनरेगा से मज़दूरों का उपयोग किया जाता है और स्वयं सहायता समूह नर्सरी से जोड़ा गया है, एक साथ क्रियान्वित करते हैं, । मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता की व्यापक निगरानी, स्थल विशेष योजनाओं और पुनर्स्थापित किये गये क्षेत्रों में किये जा रहे रखरखाव कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सहित, अनिवार्य है। , (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.2 देखें)

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन

वन्यजीव कॉरिडोर को ठीक करना और बनाए रखना, पारिस्थितिक कनेक्टिविटी बनाए रखने और मानव तथा वन्यजीव के बीच टकराव को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। प्लान में कॉरिडोर के साथ स्थानीय प्रजाती के पेड़ लगाने और जैविक दबाव में कमी करने, बारहमासी पानी के स्रोत बनाने और कॉरिडोर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए स्थानीय खरपतवार हटाने का सुझाव दिया गया है। हाथियों की मूवमेंट के लिए सीस्मिक ई-अलर्ट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी की सलाह दी गई है, साथ ही प्रवास के मार्गों पर रहने वालों को पहले से अलर्ट करने की भी सलाह दी गई है। कॉरिडोर के ज़मीन मालिकों के साथ मिलकर भू प्रबंधन पर बातचीत करने की आवश्यकता है, जिसमें कॉरिडोर-वाइड ग्रीन कवर के लिए रेवेन्यू और निजी भूमि को लिया जाना शामिल है, साथ ही व्यस्त सड़कों और रेल्वे के लिए अंडरपास जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। पुनर्स्थापन की रणनीति व्यापक है, जिसमें फसल के निर्णयों के बारे में व्यवहार में बदलाव के अभियान और वन्यजीवों का सामना होने पर उनसे निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.3 देखें)।

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH)

यह प्लान, सभी संस्थानों , शासकीय और बड़े निजी संरचनाओं के लिए वर्षाजल संवर्धन को अनिवार्य बनाता है, और इस बेस्ट-प्रैक्टिस मॉडल को घरों और खेत स्तर तक की प्रणाली की ओर ले जाता है। तकनीकियाँ जिन्हें प्राथमिकता दी गई है उनमें , खेत तालाब बनाना, कंटूर-अलाइन्ड कैचमेंट की नेटवर्किंग और गैर कृषि भवनों के लिए रूफटॉप वर्षा जल संवर्धन प्रणाली शामिल हैं। गांव और क्लस्टर-लेवल की "पानी पंचायत" का उद्देश्य कलेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिससे जल संरचनाओं तक सभी की समान पहुंच और उनका रख रखाव सुनिश्चित

हो सके। नासिक के खेत-आधारित टैंक नेटवर्क और गुजरात में भुंगरू रेनवॉटर इंजेक्शन मॉड्यूल जैसे मॉडल केस स्टडी को क्रियान्वित करने के लिए प्रारूप के तौर पर संदर्भित किया गया है। योजना में आगे सभी सार्वजानिक और निजी संस्थाओं दारा ऑन-साइट स्टोरेज और रिचार्ज क्षमता बनाए रखना आवश्यक है, जिसके पालन करने पर सम्पत्तिकर में छूट को इंसेंटिव प्रणाली के तौर पर जोड़ा जाएगा (खण्ड 2, परिशिष्ट 2 देखें; अध्याय 3, सेक्शन 3.4)।

3.5 नगरपालिक अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में नगर पालिक अपशिष्ट की मात्रा सीमित होने पर भी , बढ़ते पर्यटन और बाजार विस्तार के परिणाम स्वरुप बढ़ते जोखिमों को योजना में चिन्हित किया गया है। यह जैवनिम्नीकरण कचरे को खेती के प्रयोग करने के लिए खाद में बदलने का समर्थन करती है, जिसके लिए ई एस जेड सीमाओं के बाहर क्लस्टर-लेवल पर कचरा संग्रहण केंद्र और कचरा पृथकीकरण की जगहें बनाई जाएंगी। सभी कचरा प्रबंधन ऑपरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का पालन करेंगे, और संग्रहण, प्रोसेसिंग और जागरूकता गतिविधियों में स्वसहायता समूहों जैसे सामाजिक समूहों को शामिल करेंगे (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.5 देखें)।

3.6 अपशिष्ट जल उपचार

इस योजना के तहत, अनउपचारित गंदे पानी को जल निकायों या ज़मीन में छोड़ने पर सख्ती से रोक लगाई गई है, जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाद के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। सभी घरों, होटलों और सामुदायिक सुविधाओं में उचित, विकेन्द्रीकृत या केन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार होना चाहिए। घरेलू स्तर पर ग्रेवॉटर के लिए किचन गार्डन में दोबारा इस्तेमाल जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया गया है। धामनेर गाँव की ग्रेवॉटर प्रबंधन प्रणाली जैसे सफल मॉडल का उदाहरण इस प्लान में दिया गया है (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.6 देखें)।

3.7 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तरीकों में एक विकेंद्रीकृत, क्लस्टर-आधारित मॉडल अपनाया जाएगा - स्रोत पर कचरा अलग करना, गीले कचरे की स्थानीय कम्पोस्टिंग, और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन सीमाओं के बाहर सूखे कचरे के लिए क्लस्टर-आधारित सुरक्षित लैंडफिल। कचरा इकट्ठा करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को मनरेगा (MGNREGS) जैसी योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी। होटल, बाज़ार और पर्यटक सुविधाओं को कचरा अलग करने और संग्रहण करने में आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसमें प्लास्टिक और ई-कचरे के लिए खास निपटान की ज़रूरत होगी। यह योजना खासकर मुख्य पर्यटन क्षेत्रों के आसपास "प्लास्टिक-फ्री" ज़ोन को सख्ती से

प्रोत्साहन देती है और कचरा जलाने या खुले में फेंकने पर सख्त रोक लगाती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.7 देखें)

3.8 जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन

सभी हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, जिनमें क्लिनिक, ब्लड बैंक और पशुओं के उपचार की सुविधाएं शामिल हैं, उन्हें 2016 के नियमों के अनुसार जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन का पालन करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कचरे का पृथकीकरण , संग्रहण और उपचार , राज्य और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार सख्ती से हो। मिट्टी, जल और वायु को दूषित होने से बचाने के लिए जिला स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सामंजस्य और सामुदायिक हैंडलिंग पॉइंट्स का उपयोग आवश्यक है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.8 देखें)।

3.9 वर्षा जल प्रबंधन

ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण, ई एस जेड के ग्रामीण इलाकों को प्राकृतिक रूप से पानी ज़मीन में जाने का लाभ मिलता है, लेकिन योजना में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के तरीकों को और प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है ताकि अधिक से अधिक वर्षाजल को तालाबों या रिचार्ज कुओं में भेजा जा सके, विशेषतौर पर भविष्य में निर्मित क्षेत्र बढ़ने पर। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.9 देखें)।

3.10 वाहनों का यातायात नियंत्रण-

पशुओं और वाहनों की टक्कर और वन्य जीवों पर रुकावट के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क के इस्तेमाल और वाहनों की गति पर सख्त विनियमन का प्रस्ताव है। संवेदी हिस्सों के पास गति ज़्यादा से ज़्यादा 30 km/h तक सीमित है, जंगली जानवरों के क्रॉसिंग ज़ोन पर ज़रूरी गति-अवरोधक और वन्य जीवों के सम्बन्ध में चेतावनी वाले साइन जगह- जगह लगाने होंगे। आवश्यक स्थानीय उपयोग को छोड़कर, रात में ट्रैफिक बैन खास कॉरिडोर में लागू होंगे, और वाहनों की आवाजाही पर चेकपॉइंट से नज़र रखी जाएगी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सड़क के डिज़ाइन और मेंटेनेंस में कम से कम हैबिटैट को नुकसान पहुँचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें तय हरित बफर चौड़ाई और जंगली जानवरों के क्रॉसिंग स्ट्रक्चर जैसे पुलिया और कैनोपी ब्रिज शामिल हों, सभी नई सड़क और रेल लाइन का अलाइनमेंट को अधिक कंज़र्वेशन वैल्यू वाली ज़मीन से बचाकर करना चाहिए और जहाँ भी हो सके, वन्यजीवों की आवाजाही बनाए रखने के लिए फेंसिंग या बायो-बैरियर के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल डिज़ाइन किया जाना चाहिए। योजना में पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में उपयोग में न होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से सरेखन करने और ठीक करने पर ज़ोर दिया गया है। (परिशिष्ट 2 देखें; अध्याय 3, सेक्शन 3.10)।

3.11 संसाधन निष्कर्षण तथा खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन

बगदरा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में सभी नए और मौजूदा खनन कार्यों, जिसमें छोटे और बड़े खनिज निकालना, पत्थर की खदानें और क्रशिंग यूनिट शामिल हैं, पर पूरी तरह रोक है, सिवाय ग्रामीणों की वास्तविक घरेलू ज़रूरतों जैसे कि निजी आवास के लिए मिट्टी खोदना या टाइल बनाना के। यह रोक पारिस्थितिक एकता को बनाए रखने और हेबीटेट्स के खराब होने को कम करने के लिए है। इसी तरह, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अंदर किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग या उत्पादन सख्ती से मना है। (परिशिष्ट 2 देखें; अध्याय 3, धारा 3.11 से 3.12)।

3.12 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण

यह प्लान बेहतर जल संरक्षण प्रयासों और जल जीवन मिशन जैसी पाइप वाली सप्लाई योजनाओं के माध्यम से भूजल पर निर्भरता कम करके दक्ष जल संसाधन प्रबंधन पर ज़ोर देता है। भूजल निष्कर्षण को मॉनिटरिंग प्रावधानों के साथ विनियमित किया जाता है, जिसमें घरेलू और कृषि ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाती है और व्यावसायिक विक्रय पर रोक लगाई जाती है। प्राकृतिक झरनों, नदियों, झीलों और उनके कैचमेंट को स्रोत के पानी की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा का दर्जा दिया गया है। इन जल निकायों के पास विकास गतिविधियों को पारिस्थितिक कार्यों को बनाए रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए विनियमित किया गया है। प्रयासों में गाद निकालने और कैचमेंट प्रबंधन के माध्यम से जल निकायों का कायाकल्प करना शामिल है, जो वन्यजीवों और मानवों दोनों के उपयोग के लिए ज़रूरी बारहमासी पानी की उपलब्धता को पूरा करता है (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.13 से 3.14 देखें)।

3.13 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना

जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता एक ऐसा विषय है जिसे वृक्षारोपण और जंगल बचाने, मिट्टी और पानी बचाने के तरीकों, टिकाऊ खेती को अपनाने और प्रदूषण कम करने की कोशिशों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना में रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने और जंगल पर आधारित बायोमास पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता दी गई है। विशेष वानिकी कार्य योजनाएं जलवायु जोखिमों पर ध्यान देंगी, जिसमें प्रजातियों और हेबिटेट संरक्षण में अनुकूल प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा। जल क्षेत्र की पहल एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन और भूजल रिचार्ज पर केंद्रित हैं। इसी तरह, सुखा प्रतिरोधी फसलों को प्रोत्साहन देने और रासायनिक प्रयोग को कम करने वाली कृषि पद्धतियों को समर्थन दिया गया है। क्षमता निर्माण और जलवायु संबंधी अनुसंधान, बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए ईएसजेड समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को तैयार करने हेतु इन रणनीतियों का आधार हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.15 देखें)

3.14 पर्यटन और विरासत संरक्षण

पर्यटन विकास की योजना स्थानीय आर्थिक उत्थान के एक साधन के रूप में सावधानी से बनाई गई है, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। नई पर्यटन संपत्तियों और सर्किट की पहचान को प्राथमिकता दी गई है जो पारिस्थितिक या सांस्कृतिक मूल्यों से समझौता किए बिना पर्यटकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के विरासत स्थलों को संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। विनियमों के अनुसार , पर्यटन सरंचनाएँ और पर्यटन गतिविधियाँ , सरंक्षित क्षेत्र के सीमा से 1 किमी बफर के बाहर तक , निर्धारित पर्यटन संवर्धित क्षेत्रों तक ही अनुमत हैं , जिसमें वास्तुशिल्प दिशानिर्देशों के अनुसार कम प्रभाव वाले, स्थानीय डिज़ाइनों को प्रोत्साहन दिया गया है। योजना में पर्यावरण शिक्षा पर जोर देने वाले व्याख्या केंद्रों, वहन क्षमता प्रतिबंधों सहित आगंतुक प्रबंधन को प्रोत्साहन दिया गया हैं। जिसमे गाइड और पर्यटकों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने में स्थानीय समुदाय को भी सम्मिलित करने के प्रावधान किये गए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन और आगंतुक व्यवहार विनियमन जैसे ज़ीरो-प्लास्टिक ज़ोन, पर्यटन के कारण होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावो को कम करने के लिए अभिन्न अंग हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.16 देखें)।

3.15 कृषि और पशुधन प्रबंधन

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के तहत टिकाऊ कृषि तरीकों को प्रोत्साहन देता है, जिसमें मिट्टी और पानी के खराब होने को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों और ऑर्गेनिक तरीकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। फसलों में विविधता और पारंपरिक फसलों की किस्मों को प्रोत्साहन देने से अनुकूलता और जैव विविधता बढ़ती है। पशुधन प्रबंधन को रोटेशनल चराई योजनाओं, बेहतर नस्लों को प्रोत्साहन देने, चारे के विकास और सामुदायिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वन पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव कम हो और वन्यजीवों से फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बाड़े में खिलाने और रात में बाड़े में रखने के तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। पशुधन के नुकसान और फसल खराब होने के लिए मुआवजे की व्यवस्था इस रणनीति का एक आवश्यक अंग है। पशुधन के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण और पशु चिकित्सा शिविरों के आयोजन का प्रावधान है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.17 देखें)।

3.16 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना एक वैकल्पिक आजीविका रणनीति है, जिसका उद्देश्य जंगल और ज़मीन पर सीधा दबाव कम करना है, साथ ही आय के नए स्रोत बनाना और सामाजिक सशक्तिकरण करना है, खासकर महिलाओं और उपेक्षित समुदायों के लिए । इसमें स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बांस का काम, गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) वैल्यू एडिशन, मिट्टी के

बर्तन बनाना, बुनाई और शहद उत्पादन जैसे हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना शामिल है। ऐसे उद्योगों के क्लस्टर स्थापित करना, जिन्हें स्किल ट्रेनिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिले, न केवल कारीगरों के ज्ञान को सुरक्षित रखता है, बल्कि बाज़ार तक पहुंच और आय में स्थिरता भी लाता है। इन गतिविधियों का सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाना बड़े पैमाने पर विकास के लिए आवश्यक है, जबकि ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन ("बगदरा कारीगर," "इको-लेबल") क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कारीगर बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी फायदा दे सकते हैं। यह योजना सीधे बिक्री और पर्यटकों के साथ जुड़ाव के लिए पर्यटन सुविधाओं के साथ जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे आय के स्रोत और बढ़ते हैं और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, सेक्शन 3.18 देखें)।

3.17 प्रदूषण कम करना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के में प्रदूषण नियंत्रण, लंबे समय तक पारिस्थितिक संरक्षण और बेहतर जन स्वास्थ्य के लिए आंचलिक महायौजना (ZMP) की रणनीति का एक आधारभूत अंग है। यह प्लान शोर, हवा, पानी और ठोस कचरे से होने वाले प्रदूषण के सोर्स को चरणबद्ध तरोले से समाप्त करने की रूपरेखा बताता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, शोर के स्तर की नियमित निगरानी की जाएगी और उन्हें लागू किया जाएगा ताकि संवेदनशील इलाकों में दिन में 50 dB और रात में 40 dB से कम शोर रहे, और सार्वजानिक स्थानों तथा पर्यटक ज़ोन के आसपास के शोर और प्रदूषण के लेवल दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। प्लास्टिक और ई-कचरे को खुले में जलाने और लाउड स्पीकर के अंधाधुंध इस्तेमाल पर सख्त रोक है, खासकर त्यौहारों, सार्वजनिक सभाओं और महत्वपूर्ण हेबिटेट्स के पास। प्रयासों में मुख्य वन्यजीव और पर्यटन क्षेत्रों में "साइलेंट ज़ोन" और निवासियों और आगंतुकों दोनों को लक्षित करने वाले जागरूकता अभियान शामिल हैं। नियामक समितियों (Regulatory Committee) द्वारा समय-समय पर ऑडिट और स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाकर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें लगातार प्रदूषण-निगरानी उपकरण और प्रशिक्षण दिया जायेगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.19 देखें)

3.18 मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human Wildlife Conflict-HWC) प्रबंधन

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए गांव और क्लस्टर स्तर पर निवारक और अनुकूली दोनों उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। कार्य योजना में शारीरिक निवारक उपायों का विकास और रखरखाव शामिल है - जैसे बायोफेंसिंग, पशुओं को रात में बाड़े में रखना, और हाथियों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, साथ ही गंभीर घटनाओं के दौरान आपातकालीन हस्तक्षेप के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल। सामुदायिक फसल रक्षक, नुकसान की घटनाओं के लिए मुआवजा योजनाओं का एकीकरण, और शैक्षिक अभियान महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके अतिरिक्त, आंचलिक महायोजना ऐतिहासिक संघर्ष हॉटस्पॉट की भागीदारी मानचित्रण और गांव स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की सिफारिश करती है। स्टॉल फीडिंग, वन्यजीवों के लिए कम आकर्षक वैकल्पिक फसल पैटर्न, और संघर्षों और दावों में मध्यस्थता के लिए पारिस्थितिक विकास समिति (Ecological development Committee - EDC) और सयुंक्त वन प्रबंधन समिति (Joint Forest Management Committee -

JFMC) को शामिल करके मानव ऑफ़ वन्यजीवों के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वार्षिक समीक्षा और समय पर मुआवजे का भुगतान संरक्षण प्रयासों में जनता का विश्वास और निरंतर सहयोग बनाए रखने में मदद करता है (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 3, अनुभाग 3.20 देखें)

4 आजीविका के विषय

4.1 हितधारकों से परामर्श

ई एस जेड रणनीतियों के प्रभावी नियोजन एवं सफल कार्यान्वयन के लिए व्यापक एवं समावेशी हितधारक सहभागिता को केंद्रीय महत्व दिया गया है। पारिस्थितिक विकास समितियां , संयुक्त वन प्रबंधन समितियां , स्वयं

सहायता समूह , स्थानीय पंचायतों, सरकारी विभागों (कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन, ग्रामीण विकास), एन गी ओ , महिलाओं और युवा समूहों को शामिल करते हुए नियमित परामर्श प्रक्रियाओं को माईक्रो स्तर पर औपचारिक रूप दिया गया है। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि, ये सभी प्रयास पारिस्थितिक प्राथमिकताओं

और स्थानीय लोगों की आजीविका की आकांक्षाओं ,दोनों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन परामर्शों और निर्णयों का दस्तावेज़ीकरण, साथ ही फीडबैक तंत्र, परियोजना कार्यान्वयन को बेहतर बनाने, सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहन देने और बदलती आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। इस तरह के अभिसरण को निर्धारित बैठकों, विकास और संरक्षण बजट के साझा आवंटन, और क्रॉस-सेक्टोरल परियोजना डिजाइन के माध्यम से सपोर्ट किया गया है, जैसा कि बगदरा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में पारिस्थितिक पर्यटन, सूक्ष्म-उद्यमों और रीस्टोरेशन परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजनाओं द्वारा उदाहरण दिया गया है। (विस्तृत परामर्श नोट्स और परिणामों के लिए खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 4, अनुभाग 4.1 और परिशिष्ट 3 देखें)

4.2 पारिस्थितिक-विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना

पारिस्थितिक-विकास पहल, निवासियों के लिए स्थायी आय उत्पन्न करने के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई हैं। इसमें लैण्डस्कैप पुनर्स्थापन परियोजनाएं, बेहतर पशुधन प्रबंधन के लिए चारागाह भूमि और गौशाला सुविधाओं का निर्माण, जलीय कृषि के लिए मछली तालाबों की स्थापना, और समुदाय-आधारित पर्यटन के लिए होमस्टे का निर्माण शामिल है। बांस हस्तशिल्प समूहों, क्षेत्र-आधारित सूक्ष्म-उद्यमों (मधुमक्खी पालन, हर्बल मूल्य संवर्धन), और महिलाओं के लिए "रानीमाची" पेंटिंग में प्रशिक्षण के लिए सहयोग, आय विविधीकरण प्रदान करता है। प्रत्येक प्रयास, प्रतिभागियों की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता-निर्माण ढांचे द्वारा निर्देशित होता है और इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ निजी और NGO भागीदारों से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सफलता का आंकलन, सहभागिता पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन तथा परियोजना सूक्ष्म योजनाओं में प्रलेखित सामाजिक एवं पारिस्थितिक संकेतकों के विरुद्ध सतत निगरानी के माध्यम से किया जायेगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 4, अनुभाग 4.2 देखें)

4.3 माईक्रो प्लान तैयारी

समुदाय के साथ माईक्रो प्लान का विकास वास्तविक, जमीनी जरूरतों के अनुरूप हस्तक्षेप करने और कुशल संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक सूक्ष्म-योजना सहभागी और स्थल-विशिष्ट होनी चाहिए, जो मौसमी कृषि कैलेंडर, गांव-स्तरीय विषयों और सामाजिक-पारिस्थितिक बाधाओं को दर्शाती हो। प्लान में गतिविधियों की प्राथमिकता वाली लिस्ट, चरणबद्ध कार्यान्वयन , उत्तरदायित्वों का निर्धारण , उपलब्ध फंड और टेक्निकल रिसोर्स का प्रति सन्दर्भ (क्रॉस-रेफरेंसिंग) , और एक निगरानी तथा मूल्यांकन रूपरेखा शामिल होना चाहिए। माइक्रो-प्लानिंग प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर हितधारक प्रशिक्षण और वन विभाग और सहयोगी NGO द्वारा सक्रिय सुविधा से मज़बूत किया जाता है (खण्ड 2, परिशिष्ट 2 अध्याय 4, सेक्शन 4.3 देखें)

4.4 माइक्रो-प्लान का कार्यान्वयन

माइक्रो-प्लान के कड़े क्रियान्वयन के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता, फंड का पारदर्शी आवंटन, सामुदायिक निगरानी, और रियल-टाइम फीडबैक की आवश्यकता होती है। परिणामों को वन स्वास्थ्य (पुनर्सृजन दर, प्रजातियों की विविधता, कैनोपी कवर), कृषि उपज में सुधार, घरेलू आय, आजीविका का विविधीकरण, प्रवासन दर, और बढ़ी हुई सामाजिक एकजुटता जैसे संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है। नियमित समीक्षाएँ , निरंतर सीखने, कार्यक्रम में सुधार, और सफल प्रायोगिक (पायलट) परियोजनाओं को नए समूहों या विषयगत क्षेत्रों में विस्तारित करना सुनिश्चित करती हैं। केस स्टडी दस्तावेज़ीकरण और तरीकों को उन्नयन करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए समय- समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से संस्थागत स्मृति को सशक्त किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 4, सेक्शन 4.4 देखें)

5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना

5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन देना

बगदारा ई एस जेड- उप क्षेत्रीय पर्यटन योजना, सतत पर्यटन को एक एकीकृत विकास तंत्र के रूप में देखती है जो पारिस्थितिक संरक्षण, स्थानीय आजीविका और आगंतुकों के अनुभव के बीच संतुलन बनाती है। इसका दृष्टिकोण और उद्देश्य अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता, अद्वितीय सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत स्थलों का लाभ उठाकर स्थानीय समुदायों के लिए रोज़गार पैदा करना, संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। पर्यटन को एक पूरक आजीविका के रूप में विकसित करने, बुनियादी ढांचे में संवेदनशीलता से सुधार करने और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय इकोटूरिज्म दिशानिर्देशों के आधार पर सर्वोत्तम प्रबंधन उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसा कि खण्ड 2 के सेक्शन 5.1.1 में बताया गया है। परिशिष्ट 2; अध्याय 5। इसे प्राप्त करने के लिए, योजना, विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रों को परिभाषित करती है, पर्यावरण के अनुकूल सर्किट और क्लस्टर की पहचान करती है, और मुख्य रूप से सहभागी, समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडल के माध्यम से सुविधाओं और पर्यटक सेवाओं के उन्नयन का प्रस्ताव करती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 5, सेक्शन 5.1 देखें)

काले हिरण सफारी स्थानों, रॉक कला स्थलों, व्याख्या केंद्रों और सुंदर गाँव सर्किट जैसे प्रमुख पर्यटन संपत्तियों की पहचान और मानचित्रण आकर्षणों में विविधता लाने और पूरे पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में पर्यटक दबाव को

समान रूप से वितरित करने में मदद करती है। योजना, स्थल की वहन क्षमता मानदंडों का पालन करने, अपशिष्ट प्रबंधन, शोर नियंत्रण और पर्यटकों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए संरक्षण शिक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल अपनाने पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्तियों की पवित्रता से समझौता न हो। (मौजूदा पर्यटन बुनियादी ढांचे के लिए खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 5, सेक्शन 5.1.2 और 5.1.2.3 देखें)

5.2 संरक्षण शिक्षा

बगदारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में संरक्षण शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना गया है, जिसका उद्देश्य निवासियों और आगंतुकों दोनों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। यह योजना व्याख्यात्मक गतिविधियों - निर्देशित प्रकृति की सैर, वन्यजीव अवलोकन, स्कूल क्षेत्र यात्राओं - के साथ-साथ व्याख्या केंद्रों, इको-ट्रेल्स और विरासत स्थलों पर स्थायी शैक्षिक सामग्री का समर्थन करती है। स्थानीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में समावेशन और इंटरैक्टिव साइनेज, कार्यशालाओं और मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से बाहरी पहुँच (आउटरीच) के द्वारा क्षेत्रीय वन्यजीवों, जैव विविधता और सांस्कृतिक परंपराओं पर निरंतर ज्ञान साझा करना सुनिश्चित करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 5, सेक्शन 5.2 देखें)

एनजीओ, युवा क्लब, वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय शिक्षक इन शैक्षिक प्रयासों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अपशिष्ट प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और सम्मानजनक पर्यटन आचरण में व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। लक्ष्य, सभी सामुदायिक वर्गों के बीच पर्यावरण-संवेदनशील संसाधनों की सुरक्षा में ज़िम्मेदारी, गर्व और सीधी भागीदारी को प्रोत्साहन देना है।

5.3 पर्यटन प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश

पर्यटन के लिए प्रबंधन दिशानिर्देश विकास की ज़रूरतों को पारिस्थितिक ज़रूरतों के साथ सामंजस्य बनाने पर ज़ोर देते हैं। सभी नए पर्यटन आवास, जिनमें होटल, रिसॉर्ट शामिल हैं, अभयारण्य की सीमा से 1 किमी बफर के बाहर स्थित होने चाहिए - जब तक कि उन्हें सख्त दिशानिर्देशों के तहत अस्थायी इको-टूरिज्म गतिविधि के रूप में विशेष रूप से स्थापित न किया गया हो। कम ऊंचाई वाली, स्थानीय रूप से अनुकूल वास्तुकलात्मक शैलियाँ अनिवार्य हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 5, अनुभाग 5.3; प्रदर्शनी 9; तालिका 4 देखें)।

नियंत्रण उपायों में गाइडेड सफारी और संवेदनशील स्थानों के लिए परमिट और कोटा का उपयोग, गाँव-आधारित आतिथ्य प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, और सभी पर्यटक सर्किट में शून्य-प्लास्टिक और शोर मुक्त नीतियों को लागू करना शामिल है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल में आगंतुकों के लिए "जो लाये वो ही वापस ले जाए " नीतियां शामिल हैं, और आधारभूत ढांचे में सभी गतिविधि केंद्रों पर अलग-अलग अपशिष्ट निपटान के लिए प्रावधान शामिल होना चाहिए। स्थानीय आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए गाइड सेवाओं, आगंतुक सुविधाओं और सांस्कृतिक अनुभवों के प्रबंधन और दैनिक संचालन में पारिस्थितिक विकास समिति और स्वयं सहायता समूहों (EDC और SHG) की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 5, अनुभाग 5.3; प्रदर्शनी 9; तालिका 4 देखें)।

6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण

6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना

व्यवस्थित अनुसंधान और लगातार निगरानी, बगदारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत हैं, जो अनुकूली योजना और प्रमाण-आधारित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले विषयों में वन्यजीव आबादी और कोरिडोर की निगरानी, वन पुनरुत्पादन का मूल्यांकन, मानवजनित दबावों का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन की कमजोरियां, पानी की गुणवत्ता और जल विज्ञान, और संरक्षण के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण शामिल हैं (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 6, अनुभाग 6.1 देखें)

अनुसंधान परियोजनाएं शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एजेंसियों, वन और वन्यजीव विभागों, और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में लागू की जाएंगी। सभी निष्कर्ष ZMP की वार्षिक समीक्षाओं में शामिल किए जाएंगे, इनके माध्यम से प्रबंधन रणनीतियों और नियामक ढांचे के अद्यतन करने को दिशा देंगें।

6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास

आंचलिक महायोजना का स्थायी कार्यान्वयन संस्थागत मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने पर निर्भर करता है। योजना में सभी परिचालन स्तरों पर समर्पित कर्मचारियों - वन रक्षकों, इको-टूरिज्म गाइड, पर्यावरण शिक्षकों और स्थानीय मॉनिटर - की नियुक्ति और निरंतर प्रशिक्षण का प्रावधान है, जिसमें स्थानीय युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों की नियुक्ति और जुड़ाव शामिल है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को चल रही रोजगार गारंटी और आजीविका योजनाओं के साथ एकीकृत करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और आर्थिक लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 6, अनुभाग 6.2 देखें)

6.3 कौशल विकास और कार्य स्थल पर (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण

कौशल विकास कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें संरक्षण कृषि, पर्यटन सत्कार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, और सहभागी निगरानी जैसे तकनीकी विषयों के साथ-साथ नेतृत्व, बहीखाता और पर्यावरणीय संचार जैसे सॉफ्ट स्किल्स को भी शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्रों और चल रही परियोजना स्थलों पर ग्राम शिक्षण सत्र और व्यावहारिक प्रदर्शन पायलट स्थापित किए जाएंगे, जिससे सक्रिय सहकर्मी-से-सहकर्मी ज्ञान हस्तांतरण और क्षमता प्रतिधारण को प्रोत्साहन मिलेगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 6, अनुभाग 6.3 देखें)

6.4 एक शिक्षण केंद्र की स्थापना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के भीतर एक केंद्रीय शिक्षण और संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रशिक्षण, प्रदर्शन और सूचना आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। केंद्र में कक्षा निर्देश, संसाधन पुस्तकालय, स्थायी कृषि और निर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए कार्यरत प्रयोगशालाएं, और कृषि वानिकी, नर्सरी प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में क्षेत्र प्रदर्शन स्थलों की सुविधाएं शामिल हैं। यह लर्निंग हब, प्रचलित प्रशिक्षण प्रयासों में योगदान देगा और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अनुसंधान और विस्तारित सेवाओं में हितधारकों के एक साथ आने का एक मुख्य केंद्र होगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 6, सेक्शन 6.4 देखें)

6.5 क्षमता निर्माण और सामंजस्य

राज्य स्तरीय एजेंसियों, स्थानीय संस्थानों, एन गी ओ और प्राइवेट सेक्टर के लोगों के बीच क्षमता निर्माण और सामंजस्य , क्रियान्वयन की सफलता के केंद्र में हैं। जिला और क्लस्टर स्तरों पर नियमित कार्यशाला, प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग और अनुभव-साझाकरण सत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि किये गये सर्वोत्तम कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जाए और चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान किया जाए। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण संसाधनों बुद्धिमतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, प्रयासों के दोहराव से बचाता है, और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में हरेक इंटरवेंशन के असर को प्रोत्साहित करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 6, सेक्शन 6.5 देखें)

7 बजट

7.1 योजनागत बजट

बहु-वर्षीय योजना बजट संरक्षण पहलों, पुनर्स्थापन परियोजनाओं, आजीविका हस्तक्षेपों, सूक्ष्म-उद्यम स्टार्टअप, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पूंजी और नियमित व्यय के विस्तृत अनुमान पर आधारित है। घटकों को क्लस्टर-वार और कार्यों के अनुसार संरचित किया गया है, जिससे कार्यान्वयन प्रतिक्रिया के प्रकाश में अनुकूली पुनर्वितरण की अनुमति मिलती है। प्रत्येक गतिविधि के लिए वार्षिक कार्यभार और लागत कार्यक्रम की सिफारिश की गई है, जो निगरानी संकेतकों द्वारा समर्थित है, जिससे वित्तीय योजना एक गतिशील और उत्तरदायी प्रक्रिया बन जाती है। (खंड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 7; अनुभाग 7.1-तालिका देखें)

7.2 वित्त पोषण के स्रोत

वित्त पोषण के स्रोत विविध हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज्य योजना (PMGSY), जल जीवन मिशन) से आवंटन, जिला लाइन विभाग, निजी क्षेत्र के निवेश और गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल हैं। कार्यान्वयन समिति समय पर राशि , जिसमें योजनाओं के बीच अभिसरण का लाभ उठाने के प्रावधान शामिल हैं, वृद्धित बजट जिसमें सी एस आर और सहायता अनुदान सम्मिलित है , जारी करने और जहां संभव हो, स्थानीय लागत-साझेदारी को सुनिश्चित करती है। (खंड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 7; अनुभाग 7.2 देखें)

7.3 आहरण (ड्राइंग) और संवितरण तंत्र

वित्त के प्रवाह को, स्पष्ट संवितरण नियमों के अनुसार, एक तय किये गये ई एस जेड फंड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विनिश्चित उपयोग पर किश्तों में राशी जारी की जाती है, जिससे देरी और हानि कम होती है। पारदर्शिता और समय पर रिपोर्टिंग के लिए सरल डिजिटल प्रबंधन उपकरणों की सिफारिश की जाती है। यह योजना, सहभागी बजट को भी प्रोत्साहित करती है, जिसमें सामुदायिक समितियां संसाधन आवंटन और बाद की निगरानी में शामिल होती हैं। (खंड 2, परिशिष्ट 2; अध्याय 7; अनुभाग 7.3 देखें)

8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम

सरंक्षित क्षेत्रों की पहचान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत की गई है। पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके उनके लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZs) घोषित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना था, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के संवेदनशील इकोसिस्टम पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से बगदरा वन्यजीव अभ्यारण के लिए पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचित किया है। यह अभ्यारण मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में 'कैमूर पहाड़ियों' में स्थित है और 478 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 213.047 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड फ़ॉरेस्ट क्षेत्र है और बाकी 246.953 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र है।[1] पारिस्थितिक संवेदी जोन बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा के एक किलोमीटर तक विस्तारित है पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का क्षेत्रफल 12.886 वर्ग किलोमीटर है।

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना और लगातार विभागीय बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जोनल मास्टर प्लान में निम्नलिखित मुख्य सेक्शन शामिल हैं:

अ. स्थानिक संरक्षण और प्रबंधन क्षेत्र (सिफारिश किए गए) (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 2 देखें)

आ. गैर-स्थानिक (प्रतिबंधित, विनियमित और संवर्धित गतिविधियाँ)

इ. प्रबंधन दिशानिर्देश (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 5, अनुभाग 5.3 देखें)

ई. प्रोयोगिक) पायलट (प्रोजेक्ट और हस्तक्षेप (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 3 देखें)

उ. विनियामक क्षेत्र

ऊ. (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8 देखें)

[1] बगदारा वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना, 2017

8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करने के लिए नीचे दी गई प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनल मास्टर प्लान ,क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करते हैं। (सुझावात्मक भूमि उपयोग ज़ोनिंग के लिए खण्ड 2, परिशिष्ट-2 का अध्याय 2 देखें)

2 अनुमति, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, केवल उन गतिविधियों के लिए जारी की जाएगी जो अनुज्ञात हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2 के सेक्शन 2.6 और 2.7 देखें)

3 विनियमित और संवर्धित गतिविधियों के लिए अनुमति , नियामक प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरी समिति की सिफारिश के बाद इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक , महायोजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2 के सेक्शन 8.3 देखें)

4 उन गतिविधियों के लिए अनुमतिजो , पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना या इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना में वर्णित नहीं है, विनियामक प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरी समिति की सिफारिश के बाद दी जाएगी। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2 के सेक्शन 8.3 देखें)

5 इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन महायोजना के प्रावधानों के अनुसार, विनियमित और संवर्धित गतिविधियां , संवेदी ज़ोन के किसी विशेष स्थान पर जिसे , अध्याय 2 में परिभाषित किया गया है , अनुमत हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 2- अध्यायों के अध्याय 2)

6 संवेदी ज़ोन के अंदर अनुमतियॉं इन आधारों पर दी जाएगीः

खण्ड 2, परिशिष्ट 2- अध्यायों के सेक्शन 8.2, तालिका संख्या 6 में पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के लिए गतिविधि वर्गीकरण।

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के संवेदनशील क्षेत्र। खण्ड 2, परिशिष्ट 2- अध्यायों का मानचित्र संख्या 24 देखें।

7 संवेदी ज़ोन के बाहर के क्षेत्र के लिए, इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना के अध्याय 2 में सुझावात्मक ज़ोन की पहचान की गई है, मॉनीटरी कमेटी की सिफारिश के बाद विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाएगी । संबंधित विभाग से अनुमति लेने से पहले इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना के विषय योजना (अध्याय 3) और प्रबंधन दिशा निर्देश (अध्याय 5) पर विचार किया जाएगा।

6 भवन विनियमन के विवरण के लिए भूमि विकास नियम 2012 या बाद के विनियमन का पालन किया जाएगा।

7 नियामक प्राधिकरणों की सूची खण्ड 2, परिशिष्ट 2- अध्यायों के सेक्शन 8.3 में दी गई है।

8.2 संवेदनशील क्षेत्र

सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर और दिनांक 10/10/2024, 08/11/2024, 14/05/2025, और 16/09/2025 को हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अतर्राज्यीय विभागीय बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:(खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.2 देखें)

(I) **संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी** : जून 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अप्रैल 2023 में बाद में किए गए संशोधन के अनुसार, यह कोर टाइगर रिजर्व या पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZ) की सीमा से 1 किलोमीटर तक इनमें से जो भी समीप हो, फैली एक सुरक्षात्मक सीमा है, इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय प्रभाव को कम करना है, इसलिए नए निर्माण पर प्रतिबंध है। बगदारा ई एस जेड)पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के (मामले में, पूरा ई एस जेड संरक्षित , क्षेत्र से 1 किलोमीटर के बफर के भीतर आता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

(II) **तीव्र पहाड़ी ढलान (≥ 20°)** : इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढलान वाले क्षेत्र शामिल हैं, जो कटाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए इन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में, केवल स्थानीय लोगों को ही अपनी भूमि पर अपने आवासीय उपयोग के लिए निर्माण करने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने तथा नई सड़कों के निर्माण करनेबुनियादी, ढांचे और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और नवीनीकरण की तथा पहले से प्रचलित वर्तमान गतिविधियों की अनुमति होगी। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1-खड़ी पहाड़ी ढलान देखें)

(III) **जल निकाय संरक्षण क्षेत्र (ग्रीन बफर)** : ये क्षेत्र जल निकायों (झीलों, नदियों आदि) को घेरे हुए हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और नदी के किनारे के पर्यावासों की रक्षा करना है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

बड़े जल निकायों/आर्द्रभूमि, प्रमुख धाराओं और जल प्रवाह चैनलों के लिए ग्रीन बफर या मनोरंजक क्षेत्रों का प्रस्ताव है और बफर क्षेत्र में कोई भी निर्माण गतिविधि प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए। निम्नलिखित बफर प्रस्तावित हैं:[2]

- बड़ी नदियों के लिए नदी के किनारे से 50 मीटर।
- और उससे अधिक क्षेत्रफल वाली झीलों की सीमा से 50 मीटर,
- और उससे कम क्षेत्रफल वाली झीलों/तालाबों/टैंक बेड भूमि की सीमा से 15 मीटर,
- प्रमुख नहरों, नालों और अपवाह नालियों की सीमाओं से 15 मीटर

(IV) **अनाच्छादित क्षेत्र :** ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति आवरण काफी कम हो गया है, जिससे मिट्टी का कटाव और जैव विविधता में कमी आई है। इन क्षेत्रों में रीस्टोरेशन और वनीकरण के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

[2] कृपया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, नई दिल्ली द्वारा जारी 'अर्बन वेटलैंड/वॉटर बॉडीज़ मैनेजमेंट गाइडलाइंस' देखें।

(V) **धार्मिक महत्व के स्थान** : ये वे क्षेत्र हैं जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इन्हें सावधानी से देख- रेख की आवश्यकता है, जिससे ,धार्मिक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जाए। सभी धार्मिक स्थल ,जो सरंक्षित क्षेत्र और पहाड़ी ढलान से 1 किमी की सीमा में स्थित हैंउनके , लिए विनियमन मानदंड स्पष्ट परिभाषित किये जायेंगे और कोई भी विकास कार्य ,धार्मिक स्थल विकास की विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमत किया जाएगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

(VI) **शांत क्षेत्र** : शांत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे संरक्षित क्षेत्र (Protected Area-PA) सीमा के 1 किमी के भीतर लागू किया जाना चाहिए, जहाँ दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर 50 dB(A) और रात के समय 40 dB(A) होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र से एक किमी से परे पूरे पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के लिए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर 65 dB(A) और रात के समय 55 dB(A) की सीमा होनी चाहिए। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को रोका और नियंत्रित किया जाना चाहिए। (खण्ड 2, परिशिष्ट-2, अध्याय 8, अनुभाग 8.1 देखें)

(VII) **टाइगर कॉरिडोर :** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा टाइगर कॉरिडोर में विकास के लिए प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित नियम हैं:

क) आवासीय निर्माण सभी आबादी भूमि में और आबादी भूमि से 100 मीटर की दूरी तक अनुमत होगा।

ख) गैर-आबादी भूमि में, 0.1 के FAR प्रतिबंध के साथ आवासीय निर्माण की अनुमति है।

ग) सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण केवल वन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अनुमत होगा। (वन्यजीव बोर्ड)

घ) इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण करने की अनुमति है।

ङ) टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में कोई नया कमर्शियल निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

बगदारा ESZ के मामले में, कोई टाइगर कॉरिडोर मौजूद नहीं है।

8.3 पारिस्थितिक संवदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम

शासन द्वारा पारिस्थितिक संवदी ज़ोन में कतिपय गतिविधियों को विनियमित एवं संवर्धित गतिविधियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(खण्ड 2, परिशिष्ट -2, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)

8.4 विनियामक प्राधिकारण

खण्ड 2, परिशिष्ठ -2, अध्याय 8, सेक्शन 8.3 देखें।

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
1	होटल और रिसॉर्ट का कमर्शियल प्रतिष्ठान।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
2	निर्माण गतिविधियाँ	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
3	छोटे पैमाने के प्रदूषण रहित उद्योग।	राजस्व और स्थानीय निकाय
4	कमर्शियल बकरी और भेड़ पालन	राजस्व और स्थानीय निकाय
5	पेड़ों की कटाई	राजस्व एवं वन विभाग, स्थानीय निकाय
6	बकरी पालन	स्थानीय निकाय
7	वन उत्पादों या गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) का संग्रह।	स्थानीय निकाय
8	प्रवासी चरवाहे	स्थानीय निकाय, वन विभाग
9	बिजली और संचार टावरों की स्थापना और केबल और अन्य बुनियादी ढांचे बिछाना	राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, डिस्कॉम
10	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
11	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना और मज़बूत बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
12	पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियाँ करना, जैसे हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलिट्स आदि द्वारा ESZ क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
13	पहाड़ी ढलानों और नदी किनारों की सुरक्षा।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर
14	रात में वाहनों की आवाजाही।	स्थानीय निकाय, वन विभाग
15	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग और एक्वाकल्चर के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियाँ।	स्थानीय निकाय
16	ट्रीट किए गए अपशिष्ट जल/बहिःस्राव को प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में छोड़ना।	स्थानीय निकाय, एमपीपीसीबी
17	सतही और भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण	स्थानीय निकाय, WRD, CGWA, कलेक्टर
18	खेती या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं,	स्थानीय निकाय, कलेक्टर

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
	बोरवेल आदि	
19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	स्थानीय निकाय, CMHO, MPPCB, स्वास्थ्य विभाग
20	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर, वन विभाग
21	इको-टूरिज्म	स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग, वन विभाग
22	ध्वनि प्रदूषण	स्थानीय निकाय, MPPCB, जिला प्रशासन।
23	कमर्शियल साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग
24	ऊपर सूचीबद्ध न की गई कोई अन्य गतिविधि	मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार विनियमित किया गया

** नोट: दिनांक 10.10.2024 और 08.11.2024 को हुई पहली और दूसरी अंतर-राज्य विभागीय बैठक के दौरान मिली टिप्पणियों के आधार पर।*

8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह

आंचलिक महायोजना (ZMP) को पढ़ने और लागू करने की प्रक्रिया

चरण 1: गतिविधि वर्गीकरण

प्रस्तावित गतिविधि की पहचान करें और उसे ESZ अधिनियम की प्रतिषिद्ध, विनियमित, या संवर्धित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करें। (वर्गीकृत गतिविधियों की पूरी सूची के लिए खण्ड 2, अध्याय 2 देखें।)

चरण 2: वर्गीकरण के आधार पर निर्णय मार्ग

- **प्रतिषिद्ध गतिविधियाँ**: स्वतः अस्वीकृत; इन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाना है।
- **संवर्धित गतिविधियाँ**: ESZ के भीतर सभी क्षेत्रों में अनुमत। अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित। (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3 देखें।)
- **विनियमित गतिविधियाँ**: इस हेतु स्थानिक और प्रासंगिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके लिए, संवेदनशील क्षेत्रों के विरुद्ध प्रस्तावित खसरा स्थान का सत्यापन, जिसमें शामिल हैं:

  अ. संरक्षित क्षेत्रों (PA) से 1 किमी की दूरी
  आ. पहाड़ी ढलान >=20°
  इ. अनाच्छादित क्षेत्र
  ई. जल निकायों के आसपास संरक्षण
  उ. धार्मिक महत्व के स्थान
  ऊ. बाघ कोरिडोर

यदि संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर स्थित है, तो गतिविधि को खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.2: "क्षेत्रों के अनुसार विनियम" के अनुपालन के विरुद्ध जांचा जाना चाहिए। अनुपालन पर, प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को भेजा जा सकता है (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3)।

चरण 3: अनुमोदन उपरांत प्रबंधन

अनुमोदित गतिविधियों को खण्ड 2, अध्याय 3 और 5 में दिए गए प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हैं कि विकास टिकाऊ रहे और ESZ के पारिस्थितिक और नियामक प्रारूप के अनुरूप हो।

9 निष्कर्ष

बगदारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZ) के लिए आंचलिक महायोजना मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में पारिस्थितिक संरक्षण और स्थायी सामुदायिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक एकीकृत रणनीति प्रस्तुत करती है। यह जंगलों, वन्यजीव गलियारों, आर्द्रभूमि और मीठे पानी की प्रणालियों जैसी महत्वपूर्ण जैव विविधता संपत्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल आजीविका को प्रोत्साहन देता है जो इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर दबाव कम करती है।

इस योजना के केंद्र में एक विस्तृत स्थानिक ज़ोनिंग ढांचा है, जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता विश्लेषण और मानवीय गतिविधि मानचित्रण पर आधारित है। यह सटीक नियमों को सक्षम बनाता है जो उच्च-संरक्षण क्षेत्रों (जहां गतिविधियां प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं) और उन क्षेत्रों के बीच अंतर करते हैं जो विनियमित, कम प्रभाव वाले विकास की अनुमति देते हैं। स्पष्टता प्रदान करके, यह दृष्टिकोण मतभेदों को कम करता है और स्थानीय स्वीकृति को बढ़ाता है।

सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए, यह योजना, जैविक खेती, कृषि वानिकी, पशुधन वृद्धि, इको-टूरिज्म और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। ये विकल्प प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए आय के व्यावहारिक स्रोत प्रदान करते हैं।

संस्थागत सशक्तता इस योजना का आधार हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में निगरानी समितियों और समन्वय इकाइयों जैसे संस्थागत निकाय शामिल हैं, जिन्हें इको-डेवलपमेंट समितियों (EDCs) और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) जैसी समुदाय-नेतृत्व वाली संरचनाओं द्वारा समर्थित किया गया है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजिटल निगरानी पर जोर आगे अनुकूली और सहभागी प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

पर्यावरणीय चुनौतियों - जिसमें वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और प्रदूषण शामिल हैं - को लक्षित उपायों जैसे वनों के पुनः श्रृजन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से संबोधित किया जाता है, जो सभी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। विविध कृषि, हेबिटेट कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से जलवायु संवेदी बनाया गया है।

यह योजना स्थानीय विरासत को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए विनियमित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यटन को भी एकीकृत करती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रावधान - जैसे राहत योजनाएं, निवारक बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली - सह-अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

समग्र रूप में , बगदारा आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सूचित, सामाजिक रूप से समावेशी और संस्थागत रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करती है। इसका चरणबद्ध, क्लस्टर-आधारित कार्यान्वयन, जो पारिस्थितिक वास्तविकताओं और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है, पूरे भारत में अन्य ई एस जेड्स के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है। इस दिशा में लम्बी अवधि में सफलता योजना के समन्वित निष्पादन, सतत पर्यवेक्षण तथा स्थानीय समुदायों की सतत भागीदारी पर निर्भर करती है।